भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2503

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

"सामाजिक क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में कमी"

2503. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच बजटों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण क्षेत्रों के लिए आवंटन तथा वास्तविक व्यय में हुए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में तथा पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान उपर्युक्त में से प्रत्येक क्षेत्र के आवंटन में नाममात्र और मुद्रास्फीति-समायोजित (वास्तविक) परिवर्तन का ब्यौरा क्या है और वास्तव में कमी, यदि कोई हो, तो कमी के क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) पिछले पांच बजट/वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण से संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटन और वास्तविक व्यय में परिवर्तनों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) अनुसूचित जाति: बजट आवंटन (ब.अ.) और वास्तविक व्यय में क्रमश ₹ 42,219 करोड़ और ₹ 15,129 करोड़ की वृद्धि हुई है;

(ii) अनुसूचित जनजाति: बजट आवंटन (ब.अ.) और वास्तविक व्यय में क्रमशः ₹ 50,568 करोड़ और ₹ 28,275 करोड़ की वृद्धि हुई;

(iii) शिक्षा: बजट आवंटन (ब.अ.) और वास्तविक व्यय में क्रमशः ₹ 35,426 करोड़ और ₹ 36,630 करोड़ की वृद्धि हुई;

(iv) स्वास्थ्य: बजट आवंटन (ब.अ.) और वास्तविक व्यय में क्रमश: ₹ 26,949 करोड़ और ₹ 9,550 करोड़ की वृद्धि हुई;

(v) ग्रामीण विकास: बजट आवंटन (ब.अ.) में ₹ 71,184 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि वास्तविक व्यय में ₹ 37,017 करोड़ तक की कमी आई। यह मुख्य रूप से महामारी के बाद के वर्षों में सामान्य व्यय प्रवृत्तियों को सामान्य रहने योजना कार्यान्वयन चक्र समापन के कारण था। ग्रामीण परिवारों, वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और कमजोर वर्गों को मजदूरी रोजगार और आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कोविड-19 महामारी से संबंधित उपायों के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से 2021-22 के दौरान इस क्षेत्र के तहत कुल व्यय, प्रवृत्ति व्यय से अधिक था जिसे सामान्य बनाया गया और बाद के वर्षों में महामारी से पहले की प्रवृत्ति का अनुकरन किया गया।

(vi) समाज कल्याण: बजट आवंटन (ब.अ.) और वास्तविक व्यय में क्रमश ₹ 11,592 करोड़ और वास्तविक व्यय में ₹ 2,557 करोड़ की वृद्धि हुई।

(ख): पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में और पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान उपर्युक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए आवंटनों में सांकेतिक और मुद्रास्फीति समायोजित (वास्तविक) परिवर्तन का ब्यौरा और वास्तविक रूप से कमी के कारणों, जहां लागू हो, नीचे दिए गए हैं:

(i) अनुसूचित जाति: सांकेतिक और वास्तविक रूप में बजट आवंटन (ब.अ.) में क्रमशः ₹ 85,221 करोड़ और ₹ 40,530 करोड़ की वृद्धि हुई है;

(ii) अनुसूचित जनजाति: सांकेतिक और वास्तविक रूप में बजट आवंटन (ब.अ.) में क्रमशः ₹ 76,858 करोड़ और ₹ 40,181 करोड़ की वृद्धि हुई है;

(iii) शिक्षा: सांकेतिक और वास्तविक रूप में बजट आवंटन (ब.अ.) में क्रमशः ₹ 29,338 करोड़ और ₹ 1,988 करोड़ की वृद्धि हुई है;

(iv) स्वास्थ्य: सांकेतिक और वास्तविक रूप में बजट आवंटन (ब.अ.) में क्रमशः ₹ 34,617 करोड़ और ₹ 10,466 करोड़ की वृद्धि हुई है;

(v) ग्रामीण विकास: सांकेतिक और वास्तविक रूप में बजट आवंटन (ब.अ.) में क्रमशः ₹ 1,21,000 करोड़ और ₹ 53,040 करोड़ की वृद्धि हुई है;

(vi) समाज कल्याण: बजट आवंटन (ब.अ.) में सांकेतिक रूप में ₹ 6,176 करोड़ की वृद्धि हुई है, जबकि वास्तविक रूप से यह ₹ 5,165 करोड़ तक कम था, जो मुख्य रूप से महामारी के बाद के वर्षों में समग्र क्षेत्र आवंटन प्रवृत्ति में वापसी के कारण था।

टिप्पणियाँ: (i) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और इसकी लेखापरीक्षा नहीं हुई है।
(ii) मुद्रास्फीति समायोजित (वास्तविक) आंकडे वर्ष 2011-12 की थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला पर आधारित हैं।
